

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endorsement No. A/4647

Jabalpur, dated 29.11.2016.

The Notification of the Government of M.P. F.No. 17(E)44/2013/21-B(One)-4231/2016, Bhopal, dated 28.11.2016, issued as per provisions of Section 22(1) of the National Investigation Agency Act, 2008 is forwarded to;

1. Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Acting Chief Justice,
2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information,
3. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
4. The District and Sessions Judge, Umaria and Dindori for information and necessary action with request that the same be served on the concerned Officers also.
5. The Section Officer, Confidential/Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information.
6. Server Room, Computer for an appropriate action in connection with uploading the same on the website.

Vivek Saxena
29.11.2016
(Vivek Saxena)
O.S.D. (D.E.)

3068



मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल दिनांक 28-11-2016

फा.क्रमांक 17(ई) 44/2013/21-ब(एक)/ 4231/2016 , - राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक ब(1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है. अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 49, एवं 50 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं. अर्थात्:-

सारणी

क्रमांक	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम
49.	डिण्डोरी	श्री मृत्युंजय सिंह, सेशन न्यायाधीश, डिण्डोरी
50.	उमरिया	श्रीमती कृष्णा परस्ते, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उमरिया."

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपना पदभार ग्रहण करें।

NOTIFICATION

F-No. 17(E)/44/2013/21-B(One)- 4231/2016 -In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the state Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this department's notification F-No. B(1)3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, Namely:-

Amendment

In the said notification , in the table, for serial numbers 49 and 50 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

28 NOV 2016
REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT OF M.P.
JABALPUR

(S.D. (16))

TABLE

S. No.	Name of District	Name and Designation of the Judge
49.	Dindori	Shri Mritunjay Singh, Sessions Judge, Dindori. Smt. Krishna Paraste, Additional Sessions Judge.
50	Umaria	Umaria.

- This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.

(ए. आर. सक्सेना)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ. क्र. 17/ई/44-2013/21-ब(एक)-4231-2016.

भोपाल, दिनांक १४-११-२०१६

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर उनके जापन क्रमांक B/5206 /11-6-4/10, दिनांक 07.11.2016 के संदर्भ में.
2. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नाथ ब्लाक, नई दिल्ली.
3. सचिव, म.प्र. शासन, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल.
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डोरी एवं उमरिया, म.प्र., की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं (म.प्र. राजपत्र भाग-एक) आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
6. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

(आर) के(0) वाणी)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग